HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4385/2025

विकास कुमार वर्मा पुत्र श्री बाबूलाल बुनकर, निवासी प्लॉट नंबर सी–8, तक्षिला नगर, ग्राम सेवापुरा, तहसील आमेर, थाना हरमाडा, जिला जयपुर, राज0।

———प्रार्थी/अपीलार्थी

बनाम

1. संतोष कुमार मीणा पुत्र श्री जम्मन लाल मीणा, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम आगर, तहसील थानागाजी, वाया प्रतापगढ़, थाना प्रतापगढ़, जिला अलवर, राज0।
2. श्रीराम जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, जरिये प्रबंधक, कार्यालय ई–8, ईपीआईपी, सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया सीतापुरा, पुलिस थाना सांगानेर, जिला जयपुर।
(बीमा कंपनी पिकअप संख्या आरजे–11–जीए–3812)

———अप्रार्थीगण

For Appellant(s)	:	Mr. Bhanu Prakash Verma, Adv.
For Respondent(s)	:	Dr. Suman Sharma, Adv. for Respondent No.1 Mr. Chanderdeep Singh Jodha, Adv. (For Insurance Company)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

05/05/2026

1. अपीलार्थी विकास कुमार वर्मा द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (विशिष्ठ न्यायालय, सा.दं.प्र.), जयपुर महानगर, जयपुर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या–165/2018, विकास कुमार बनाम संतोष कुमार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थी विकास कुमार वर्मा द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, स्वयं के मोटर वाहन दुर्घटना में आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 19,38,000/– रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान

अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में अपीलार्थी को कुल 5,04,104/– रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 6 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा कि विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी की मासिक आय 5,382/– रूपये (26 दिनों के आधार पर) निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की है, जबकि अपीलार्थी वक्त घटना अकाउंटस का कार्य कर 12,000/– रूपये मासिक आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति राशि पर भविष्य में होने वाली आय वृद्धि बाबत भी कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में तथा भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा की कमी के मद में समुचित राशि नहीं दिलवाई है तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थी के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 27 प्रतिशत की स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श–15 के अवलोकन से स्पष्ट है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr. Reported in (2018) 9 Supreme Court Cases 450,** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :–

> "12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."
>
> "13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"
>
> "15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 15.06.2017 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को 25 वर्ष की आयु का होना बताते हुए सी.ए. के पास अकाउंटस का कार्य करके 12,000/— रूपये मासिक आय अर्जित करना बताया गया है। किन्तु अपनी आय के संबंध में अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को वक्त घटना अकुशल श्रमिक होना मानते हुए उसकी मासिक आय 207/— रूपये प्रतिदिन की दर से 26 दिनों के आधार पर 5,382/— रुपये निर्धारित की गई है। जबकि विद्वान अधिकरण को एक मजदूर श्रेणी के व्यक्ति की 30 दिनों की आय निर्धारित की जानी चाहिए थी। वक्त घटना अकुशल

श्रमिक की दैनिक आय 207/– रुपये, तद्नुसार मासिक आय 6,210/– रुपये होती है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की निर्धारित मासिक आय में भविष्य में होने वाली आय की कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी का 21 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में होना अभिनिर्धारित किया है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्यः (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय 6,210/– रुपये में 40 प्रतिशत अर्थात 2,484/– रुपये की बढ़ोतरी किया जाना अपेक्षित है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत अपीलार्थी की कुल शुद्ध मासिक आय 8,694/– रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति निर्धारण का आधार रहेगी।

8. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के प्रार्थी के सिर, दोनों आंखों, बांये हाथ, दांये पैर तथा रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होना तथा शरीर पर अन्य चोटें कारित होना जाहिर है। जिनके सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 27 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिकरण ने अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षति के मद में 27 प्रतिशत की कमी होना माना है। अतः हम भी अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय में 27 प्रतिशत की कमी होना प्रमाणित पाते हैं। तद्नुसार अपीलार्थी की मासिक आय 8,694/– रुपये का 27 प्रतिशत 2,347/– रुपये होती है, जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 21 से 25 आयु वर्ग के मध्य निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा भी अपने निर्णय में 18 के गुणक का प्रयोग किया गया है, जो उचित है। तद्नुसार अपीलार्थी को

भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति 2,347 x 12 x 18 = 5,06,952/– रुपये होती है, जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 55,000/– रूपये, 8 दिन अस्पताल में भर्ती रहने पर 600/– रूपये प्रतिदिन की दर से 4,800/– रूपये, पौष्टिक आहार की मद में 4,000/– रूपये, परिवहन व यातायात पर व्यय हुई राशि के मद में 5,000/– रूपये तथा इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में 1,21,438/– रूपये की राशि दिलवाई गई है, जिनमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को इलाजरत अवधि के दौरान हुई आय की क्षति के मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। हस्तगत मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी के कारित हुई तीन अस्थिभंग की चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी करीब 3 माह तक कार्य करने में असमर्थ रहा होगा। ऐसी स्थिति में हम 3 माह की आय की हानि के मद में 5,382x3=16,146/– रूपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. मामले की घटना में लिप्त वाहन संख्या आरजे11–जीए–3812, प्रत्यर्थी संख्या–1 के स्वामित्व का था तथा वक्त घटना प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा ही वैध व प्रभावी अनुज्ञापत्र के बिना उक्त वाहन का चालन किया जा रहा था, जो कि बीमा कम्पनी की बीमा पॉलिसी का स्पष्ट उल्लंघन है। बीमा पॉलिसी की शर्तों के स्पष्ट उल्लंघन के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा ''पे एण्ड रिकवर'' के सिद्धान्त के आधार पर बीमा कम्पनी को आदेश दिया है कि वह क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी याची/अपीलार्थी को अदा करें व उसके उपरांत अदा की गई राशि वाहन चालक/वाहन स्वामी प्रत्यर्थी संख्या–1 से वसूल कर लेवें। विद्वान अधिकरण द्वारा ''पे एण्ड रिकवर'' के संबंध में जो निष्कर्ष निकाला गया है, उसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

12. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट विकास कुमार वर्मा निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	भविष्य की आय की क्षति के मद में	5,06,952/– रुपये
2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	55,000/– रुपये
3.	इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में	1,21,438/– रूपये
4.	8 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	4,800/– रूपये
5.	अस्पताल आवागमन की मद में	5,000/– रूपये
6.	पौष्टिक आहार की मद में	4,000/– रूपये
7.	3 माह की आय की क्षति के मद में	16,146/– रूपये
8.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	7,13,336/– रुपये
9.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	5,04,104/– रुपये
10.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	2,09,232/– रुपये

13. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को 5,04,104/– रूपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 7,13,336/– रूपये का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता हैं।

14. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

15. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

16. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

Badal/94s